

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
JODHPUR

S.B. Cross Objection (Civil) No. 3/2025

Maruti Roadways

-----Petitioner

Versus

Shri Shankar Lal

-----Respondent

Connected With

S.B. Civil Misc. Appeal No. 56/2024

Unkar Lal

-----Petitioner

Versus

H.d.f.c. Ergo General Insurance Co. Ltd.

-----Respondent

For Their Respective Parties	:	Mr. Pradeep Singh Khichi Mr. Manish Kumar Pitaliya Mr. Dhanpat Choudhary
------------------------------	---	--

HON'BLE MR. JUSTICE YOGENDRA KUMAR PUROHIT

Order

24/07/2025

S.B. Civil Misc. Appeal No. 56/2024

बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री विशाल सिंघल को प्रत्यर्थी संख्या 1 की ओर से उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं।

विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 1 पक्षकार से निर्देश प्राप्त करने हेतु अवसर चाहते हैं, जो दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी प्रत्यर्थी संख्या 5 की ओर से उपस्थित है। विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप सिंह प्रत्यर्थी संख्या 3 की ओर से उपस्थित है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी का निवेदन है कि प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को नोटिस के तामील की आवश्यकता नहीं है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 2 व 4 को नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है। अतः तामील पूर्ण है।

अपील विचारार्थ ग्रहण की जाती है।

विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी मीमों ऑफ अपील की प्रति विद्वान अधिवक्तागण प्रत्यर्थी संख्या 1, 3 व 5 को उपलब्ध करावें।

प्रकरण आठ सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध हो।

S.B. Cross Objection (Civil) No. 3/2025

अपील आज दिनांक को एडमिट की जा चुकी है। अतः कार्यालय द्वारा जो कमी संख्या 1 बताई गई है, उसको रद्द किया जाता है। कमी संख्या 3 की पूर्ति किया जाना दिनांक 12.02.2025 की कार्यालय की रिपोर्ट से स्पष्ट है। क्रॉस ऑब्जेक्शन में नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 1 से 5 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री मनीष कुमार उपस्थित है।

बीमा कम्पनी के अधिवक्ता श्री विशाल सिंघल को नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 6 की ओर से उपस्थित होने के निर्देश दिए जाते हैं।

विद्वान अधिवक्ता नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 6 पक्षकार से निर्देश प्राप्त करने हेतु अवसर चाहते हैं, जो दिया जाता है।

विद्वान अधिवक्ता श्री धनपत चौधरी नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 9 की ओर से उपस्थित है।

विद्वान अधिवक्ता क्रॉस ऑब्जेक्टर का निवेदन है कि नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 7 व 8 को नोटिस के तामील की आवश्यकता नहीं है। अतः नॉन क्रॉस ऑब्जेक्टर संख्या 7 व 8 को नोटिस की तामील से अभिमुक्ति प्रदान की जाती है। अतः तामील पूर्ण है।

विद्वान अधिवक्ता क्रॉस ऑब्जेक्टर मीमों ऑफ क्रॉस ऑब्जेक्शन की प्रति विद्वान अधिवक्तागण नॉन क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या 1 से 5, 6 व 9 को उपलब्ध करावें।

प्रकरण आठ सप्ताह पश्चात सूचीबद्ध हो।

(YOGENDRA KUMAR PUROHIT),J